

न्यायालय तहसीलदार बयाना (भरतपुर)

(पीठारीन अधिकारी-श्री गिरीज प्रसाद बंसल तहसीलदार बयाना)

प्रसंग 81/20 ता० रजु. 6-1-20 किरम मुकदमा 91 एलआर एक्ट निर्णय दिनांक 4-2-2020

सरकार

बनाम

मोहरसिंह-शिवराह पुत्रान लुड्डन जाटव तह० बयाना जिला-भरतपुर।

खरगवली

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। पटवारी हल्का खरगवली ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की है कि ग्राम खरगवली के खसरा न० 134 रकवा 0.27 हैक्ट में से रकवा 0.27 हैक्ट किरम भूमि खरगवली पर संवत् 2076 में श्री मोहरसिंह-शिवराह पुत्रान लुड्डन जाटव तह० बयाना ने कर अतिक्रमण कर लिया है।

हल्का पटवारी रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण धारा 91, एल.आर.एक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। जो शामिल गिसिल है। अप्रार्थी बाबजूद सूचना अनुपस्थित अतः अतिक्रमी के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अगल में लायी जाती है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन उपरान्त न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अप्रार्थी के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही अगल में लायी जाना आवश्यक है। अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से बेदखल करना राज्यहित में आवश्यक है।

अतः आदेश है कि अतिक्रमी के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही कर अतिक्रमित खसरा नम्बर 134- रकवा 0.27 हैक्ट वाके ग्राम खरगवली से बेदखल किया जाता है। लगान 4.32 का 50 गुणा पैनल्टी राशि 216/- रुपये से दण्डित किया जाता है। पैनल्टी की मांग कायमी टी०आर०ए० हाजा से कराई जावे। पैनल्टी वसूली एवं फसल नीलामी हेतु पटवारी हल्का एवं भू-अभिलेख निरीक्षक को आदेश जारी हो।

पत्रावली फौसल शुमार हो। बाद तकमील नम्बर से कम हो। दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 4-2-2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

इस प्रकरण की मांग सामग्री
श. नं. 5/2/20 रजु. 2-1-20
दिनांक 5/2/20 रजु. 2-1-20
पैनल्टी 216/- रुपये की राशि
श. नं. 5/2/20 रजु. 2-1-20
तहसीलदार बयाना

तहसीलदार
बयाना (भरतपुर)

